संख्या–13/2016/1177/62-1-2016-1108/2015

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 31 अगस्त, 2016

विषय– चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत भूगर्भ जल विभाग के लिए आयोजनागत पक्ष में जनपद-बस्ती में क्षेत्रीय भूजल हब की स्थापना हेतु लगभग 0.75 हेक्टेयर भूमि अर्जन हेतु बजट आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 587जी/भू0ज0वि0/ए-7 (भूजल हब), दिनांक 22 अगस्त 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत भूगर्भ जल के कार्यक्रम की आयोजनागत पक्ष में नवीन योजना "क्षेत्रीय भूजल हब की स्थापना हेतु" प्राविधानित धनराशि रू0 31500 हजार (रूपया तीन करोड पन्द्रह लाख मात्र) के सापेक्ष ग्राम-मसजिदिया, तहसील व परगना सदर बस्ती, जनपद-बस्ती में स्थित कुल भूमि 0.904 हेक्टेयर को क्रय किये जाने हेतु रू0 7500 हजार (रूपया पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार राज्यपाल महोदय आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक/मद	बजट प्राविधान 2016-17	निदेशक के निर्वतन पर रखी जाने वाली धनराशि
लेखाशीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-102-भूजल-13-क्षेत्रीय भूजल हब की स्थापना ।"			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1	24-बृहत निर्माण कार्य	31000	7500
2	42-अन्य व्यय	500	-
	कुल **योग**	31500	7500

(रूपये पचहत्तर लाख मात्र)

2- उपर्युक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी :-

(1) उपर्युक्त समस्त धनराशि के आहरण, व्यय एवं प्रबन्धन में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त अनुदेशों एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधिानों/शासनादेशों का अनुपालन अक्षरश: अवश्यमेव सुनिश्चित किया जाय।

(2) अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय ।

(3) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाये।

(4) आपको पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(5) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण मुख्य, लघु उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अवश्य अंकित किया जाये और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना शासन को दी जाय।

(6) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0 बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7)- तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-102-भूजल-13-क्षेत्रीय भूजल हब की स्थापना के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च,2016 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-13/2016/1177(1)/62-1-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3- नियोजन अनु0-3, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनु0-2, उ0प्र0शासन।
5- वित्त (आय-व्ययक), अनु0-1/2, उ0प्र0शासन।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- निदेशक, सूचना, उ0प्र0।
8- एन0आई0सी0 की प्रति।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओम नारायण अहिरवार)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।